

भारत में ओपन जेलें

प्रलिस के लयल:

ओपन जेलें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में जेलों के प्रकार

मेन्स के लयल:

ओपन जेल की अवधारणा और वलषलताएँ, जेल में भीडभाड पर खुली जेलों का प्रभाव, भारतीय जेलें और संबधतल मुददे ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्योँ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने हाल ही में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories- UT) को अपने अधिकार क्षेत्र में ओपन जेलों की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक वलरलण उपलब्ध कराने का नरलदेश दलया है ।

- यह नरलदेश [जेलों में भीडभाड](#) के बारे में जारी चतलओं को ध्यान में रखते हुए आया है, जसल मामले ने न्यायालय का ध्यान आकर्षतल कलया है ।

सर्वोच्च न्यायालय ओपन जेलों पर क्योँ ध्यान केंद्रतल कर रहा है?

- जेलों में अत्यधिक भीड: सर्वोच्च न्यायालय पारंपरिक जेलों में अत्यधिक भीड की दीर्घकालकल समस्या के समाधान के लयल ओपन जेलों को एक संभावतल समाधान के रूप में देखतल है ।
 - इस अवधारणा का उददेश्य मनोवैज्ञानकल तनाव को कम करना है, जसलका सामना दोषल्यों को कारावास के बाद सामान्य जीवन में पुनः शामिल होने के दौरान करना पडतल है ।
 - कुछ कैदल्यों को खुली हवा वाली सुवधलओं में स्थानांतरतल करने से उच्च सुरक्षा वाली, बंद जेलों में कुल आबादी कम हो जाली है **कैदल्यों का यह पुनर्वलरण पारंपरिक जेलों पर दबाव को कम करता है, जहाँ अक्सर अत्यधिक भीडभाड होती है ।**
- अनुपालन सुनशलचितल करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमकल: ओपन जेलों के कार्यप्रणाली पर व्यापक जानकारी की आवश्यकता पर बल देकर, सर्वोच्च न्यायालय का उददेश्य यह सुनशलचितल करना है कल राज्ज और केंद्रशासित प्रदेश अपने सुधारात्मक प्रणालललियों के हसलसे के रूप में इस मॉडल को सक्रयल रूप से लागू कर रहे हैं ।
 - न्यायालय का ध्यान कैदल्यों के अधिकारों के संरक्षण की देख-रेख करने तथा अधिक प्रभावी जेल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उसके व्यापक अधदलश को भी दरशातल है ।

ओपन जेलें क्यल हैं?

- सेमी-ओपन या ओपन जेलें सुधारात्मक सुवधलएँ हैं, जलनहें पारंपरिक ऊँची दीवारों, काँटेदार तारों और सशस्त्र गार्डों के बना बनाया गया है । पारंपरिक बंद जेलों के वपलरलत ये जेलें **कैदल्यों के आत्म-अनुशासन और सामुदायक सहभागतल पर आधारतल होती हैं । न्याय के सुधारात्मक सदधलान्त** पर आधारतल ओपन जेलें, **कैदल्यों को केवल दंडतल करने के अतरकलत उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रतल** करती हैं । यह दृषटकलण आत्म-अनुशासन और सामुदायक एकलकरण के माधयम से **कैदल्यों को कानून का पालन करने वाले नागरकलों में परवलरतल करने पर ज़ोर देतल है ।**
- ऐतलहासकल संदरभ:** भारत में पहली ओपन जेल वर्ष **1905 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में स्थापतल की गई** थी, जसलमें शुरु में कैदल्यों को सार्वजनकल कार्यों के लयल अवैतनकल श्रमकल के रूप में इस्तेमाल कलया जाला था ।
 - समय के साथ यह अवधारणा वकलसतल हुई, जसलमें **नवलरण से ज़यादा सुधार पर ज़ोर** दलया गया । आज़ादी के बाद वर्ष **1949 में लखनऊ में पहली ओपन जेल एनेक्सी स्थापतल** की गई, जसलके बाद वर्ष 1953 में एक पूर्ण सुवधल वाली जेल बनाई गई, जहाँ कैदल्यों ने चंद्रप्रभा बाँध बनाने में मदद की ।
 - स्वतंत्रता के बाद जेलों की अमानवीय स्थतललियों के संबंध में **संवैधानकल न्यायालय के फैसलॉं ने जेल प्रबंधन में बदलाव को प्रेरतल कलया तथा सुधार और पुनर्वास पर ज़ोर दलया ।**

- न्यायालयों ने राज्यों से उचित वेतन सुनिश्चित करने और पुनः एकीकरण का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक दृष्टिकोण के रूप में ओपन जेलों का उदय हुआ।
- **वशिष्टताएँ:** कैदियों को कुछ घंटों के दौरान जेल से बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे काम के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे।
 - राजस्थान ओपन एयर कैप नयिम, 1972 में ओपन जेलों को "बनिा दीवारों, सलाखों और तालों वाली जेल" के रूप में परिभाषित किया गया है। कैदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद दूसरी हाजिरी से पहले लौटना होता है।
- **ओपन जेलों के प्रकार:** मॉडल जेल मैनुअल भारत में ओपन जेल संस्थाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करता है:
 - **सेमी-ओपन प्रशिक्षण संस्थान:** ये संस्थान मध्यम सुरक्षा के साथ बंद जेलों से जुड़े होते हैं।
 - **ओपन प्रशिक्षण संस्थान/कार्य शक्ति:** सार्वजनिक कार्यों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
 - **ओपन कॉलोनियाँ:** परिवार के सदस्यों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करते हुए कैदियों के साथ रहने की अनुमति देती हैं।
- **पात्रता:** प्रत्येक राज्य का कानून उन कैदियों की पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, जिन्हें ओपन जेल में रखा जा सकता है।
 - मुख्य नयिम यह है कि **खुली हवा वाली जेल के लिये पात्र कैदी को दोषी करार दिया जाना चाहिये। जेल में अच्छा आचरण और नयित्तरति जेल में कम-से-कम पाँच वर्ष गुजारना** राजस्थान की ओपन जेलों के नयिमों का पालन करता है।
 - पश्चिम बंगाल में **जेल और पुलिस अधिकारियों की एक समिति अच्छे आचरण वाले कैदियों का चयन करती** है, ताकि उन्हें ओपन जेलों में स्थानांतरित किया जा सके।
- **कानूनी ढाँचा:** जेलों और कैदियों का उल्लेख भारत के संविधान की **7वीं अनुसूची** की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 4 में किया गया है। अतः यह राज्य का विषय है।
 - भारत में जेलों का संचालन कारागार अधिनियम, 1894 और बंदी अधिनियम, 1900 द्वारा होता है तथा प्रत्येक राज्य अपने जेल नयिमों और नयिमावलयों का पालन करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** ओपन जेलें सदियों से वैश्विक सुधार व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। शुरुआती उदाहरणों में **स्वटिज़रलैंड का वटिज़वलि (1891) और यूके का न्यू हॉल कैप (1936) शामिल हैं।**
 - **संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेल्सन मंडेला नयिम 2015** पुनर्वास में सहायता के लिये ओपन जेल प्रणाली का समर्थन करते हैं, तथा कैदियों के रोजगार और बाहरी संपर्क के अधिकार पर जोर देते हैं।
- **संस्तुतियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में **राममूरत बिनाम कर्नाटक राज्य मामले** में ओपन जेलों के विस्तार का समर्थन किया था। 1980 में **अखलि भारतीय जेल सुधार समिति** सहित विभिन्न समितियों ने राज्यों में ओपन जेलों की स्थापना की संस्तुति की है।
 - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC)** ने वर्ष 1994-95 और 2000-01 की अपनी कई वार्षिक रिपोर्टों में ओपन जेलों की आवश्यकता तथा जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिये इनके उपयोग का समर्थन किया था।

ओपन जेलों के क्या लाभ और हानि हैं?

श्रेणी	लाभ	हानि
लागत दक्षता	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में परिचालन लागत में काफी कमी आती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ओपन जेलों में आधुनिकीकरण की कमी है और धन अपर्याप्त है।
अधिक भीड़भाड़	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में सहायता करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी के कारण मौजूदा ओपन जेलों का कम उपयोग।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ■ कैदियों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुछ कैदी ओपन जेल के माहौल पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी सजा पूरी करने के बाद भी अपने परिसर को खाली करने का विरोध करते हैं।
नयिकृति	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में 90% कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों में स्टाफ की कमी के कारण ओपन जेलों में स्टाफ की पुनः तैनाती करना कठिन हो जाता है।
पुनर्वास	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुधारात्मक दंड और समाज में सफल एकीकरण को बढ़ावा देता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ आधुनिक कानूनों और पुराने विधान (कैदी अधिनियम, 1894) की कमी तथा कई ओपन जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि जेल राज्य का विषय है, इसलिये ओपन जेलों के लिये नयिमों तथा दिशानिर्देशों में एकरूपता का अभाव है।
पुनरावृत्ति	<ul style="list-style-type: none"> ■ पुनरावृत्तिकी कम संभावना। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह पुनरावृत्तिकी को महत्त्वपूर्ण रूप से नहीं रोकता है।
रोज़गार	<ul style="list-style-type: none"> ■ कैदियों को रोजगार खोजने के लिये प्रोत्साहित करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कई ओपन जेलों के दूरदराज के स्थानों के कारण स्थानीय रोजगार खोजने में कठिनाई होती है।

सामाजिककरण	<ul style="list-style-type: none"> बाह्य विश्व के साथ सामाजिकीकरण और अंतःक्रिया को बढ़ाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> कई राज्यों में महिला कैदियों के लिये कोई ओपन जेल नहीं है।
सुधारात्मक क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> नैतिक विकास और सहकारी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने वाले गांधीवादी आश्रमों की याद दिलाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> कैदियों के लिये चयन प्रक्रिया कभी-कभी अपारदर्शी होती है, जिससे पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।
सामुदायिक प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> यह सभी प्रतभागियों के लिये लाभकारी है जिसमें अपराध के पीड़ित भी शामिल हैं जो अपराधियों में सुधार होते हुए देखते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा और अनुशासन संबंधी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हो सकती हैं तथा कुछ लोग इस प्रणाली को बहुत उदार मानते हैं।

भारत में अन्य प्रकार की जेलें

- भारत में जेलों के तीन स्तर हैं: तालुका, ज़िला और केंद्रीय (क्षेत्रीय/रेंज) स्तर। इन स्तरों पर स्थिति जेलों को क्रमशः उप-जेल, ज़िला जेल और केंद्रीय जेल के रूप में जाना जाता है।
 - अन्य प्रकार की जेलें भी हैं जैसे महिला जेल, बोर्स्टल स्कूल और विशेष जेलें।
- केंद्रीय जेल:** केंद्रीय जेलों के लिये मानदंड विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, लेकिन उनमें सामान्यतः लंबी अवधि के कारावास की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है, जिनमें अक्सर दो वर्ष से अधिक की सजा वाले कैदी शामिल हैं, जिनमें आजीवन कारावास की सजा वाले कैदी और जघन्य अपराध करने वाले कैदी भी शामिल हैं।
 - इन जेलों में कैदियों की नैतिकता और नष्टि को पुनः स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- ज़िला जेल:** ज़िला जेल उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये मुख्य जेल हैं, जहाँ कोई केंद्रीय जेल नहीं है।
- उप जेल:** ज़िला जेलों से छोटी, उप-मंडल स्तर पर अच्छी तरह से संगठित और बेहतर ढंग से स्थापित जेलें।
- विशेष जेल:** ये जेल अत्यधिक सुरक्षा वाली जेलें हैं, जिनमें **आतंकवाद, हसिक अपराध, आदतन अपराधी** और जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के दोषी विशेष वर्ग के कैदियों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ हैं। ये जेलें हसिक और आक्रामक कैदियों को रखने के लिये जानी जाती हैं।
- महिला जेल:** ये जेलें विशेष रूप से महिला कैदियों के लिये, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थापित की गई हैं और इनमें महिला कर्मचारी होती हैं। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के जेल सांख्यिकी, 2022 के अनुसार भारत की 1,330 जेलों में से केवल 34 को महिला जेल के रूप में नामित किया गया है।
 - सीमति क्षमता के कारण कई महिला कैदियों को अन्य प्रकार की जेलों में रखा जाता है।
- बोर्स्टल स्कूल:** यह एक प्रकार का युवा नरोध केंद्र है। इसका उपयोग विशेष रूप से नाबालगों या कशोरों को रखने के लिये किया जाता है।
 - इन विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य युवा अपराधियों की देखभाल, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जो बच्चों के लिये उपयुक्त वातावरण में हो तथा उन्हें जेल के संक्रामक वातावरण से दूर रखे।
- अन्य जेल:** जो जेलें ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं आती हैं, वे अन्य जेलों की श्रेणी में आती हैं। केवल तीन राज्यों में अन्य जेल हैं।
 - इन राज्यों के नाम **कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र** हैं तथा प्रत्येक राज्य में एक अन्य जेल है।

?????? ???? ????:

प्रश्न. भारतीय जेल प्रणाली में ओपन जेलों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। वे जेलों में भीड़भाड़ और कैदियों के पुनर्वास के मुद्दों को कैसे संबोधित करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-ववाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)